Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

सुनील बनाम बसंत कुमार

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 72 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20-05-2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के जरिये प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी दि. 09.4.2026 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र यह जाहिर किया कि प्रकरण में प्रतिवादी नंबर 1 बसन्त कुमार सुराणा का जो साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 27.1.2026 का प्रस्तुत हुआ है, उसके पैरा नंबर 1 में खसरा नंबर 1373 व 1374 वाकै थोक तेलियान फॉयसागर रोड अजमेर का खातेदार होने का हवाला दिया है व कब्जा प्रतिवादी नंबर 1 का होने का हवाला दिया है और सभी की जानकारी में होने का हवाला दिया है। वादग्रस्त संपत्ति का मालिक प्रतिवादी संख्या 2 है व कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 है, जो प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी नंबर 2 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें भी अंकित किया गया है। जो खसरा नंबर 1373 व 1374 जिसके भाग के बाबत इकरारनामा करना बताया गया है उसका मालिक प्रतिवादी नंबर 1 नहीं है काबिज प्रतिवादी नंबर 1 नहीं है वादी व प्रतिवादी नंबर 1 दोनों आपस में मिले हुये है मिलाभगती कर प्रतिवादी नंबर 2 की संपति को लेना चाहते है। तथाकथित इकरारनामा बताया गया, जबकि वास्तविकता में वह इकरारनामा निष्पादित ही नहीं हुआ। श्रीमती प्रेम कंवर को कोई तथाकथित हक अधिकार ही नहीं था न ही श्रीमती प्रेम कंवर काबिज थी न काबिज रही माननीय उच्च न्यायाल में रिट याचिका 7121/2003 प्रस्तुत की जो बसन्त कुमार, प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रस्तुत की और उसमें प्रतिवादी नंबर 2 भी पक्षकार है जिसमें आदेश दिनांक 17.9.2025 को हुआ जो तथाकथित इकरारनामा के समय विचाराधीन थी, जो पूर्व में भी इकरारनामा बनाया गया उसके आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया। आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नंबर 2 ने पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया तो वह माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.5.2017 को स्वीकार किया गया जिसमें कि खसरा नंबर 1373 व 1374 की भूमि प्रतिवादी नंबर 2 ने अपनी बताई। प्रदर्श–1 इकरारनामा जो दिनांक 8.8.2013 का बताया गया वादी व प्रतिवादी नंबर 1 के मध्य उसका पेज नंबर 2 उप–पैरा 1 व 2 में स्वयं वादी व प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 के प्रकरण के बाबत हवाला दिया और उसके बाबत उल्लेख किया जिस इकरारनामे के बाबत ही स्पेसिफिक परफोरमेंस का केस जो वादी के द्वारा किया गया है जिसके बाबत प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना शपथ पत्र दिया है	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	उसी इकरारनामे में प्रतिवादी नंबर 2 का उल्लेख किया है। अतः प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांकित 27.01.2026 पर जिरह करने की अनुमति प्रदान किा जाना न्याय संगित है, अन्यथा उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा का निवेदन भी किया गया। खण्डन में विपरीत पक्ष प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर यह जाहिर किया गया कि प्रतिवादी सं. 01 का साक्ष्य शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वादी द्वारा जिरह पूर्ण हो चुकी है, उक्त वाद संविदा की विर्निदिष्ट पालना का है। जिस इकरारनामें में वादी व प्रतिवादी सं. 01 ही पक्षकार है । प्रतिवादी सं. 02 ने उक्त धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उसमें विभिन्न कथन करते हुये प्रतिवादी सं. 01 के प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र दिनांक 27–01–2026 पर जिरह की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया है, जो किसी भी आधार पर स्वीकार्य नहीं है । प्रार्थनापत्र की चरण सं. 01 व 02 में प्रतिवादी सं. 01 के शपथपत्र का उल्लेख किया गया है, इसी प्रकार प्रार्थनापत्र की चरण सं. 03 लगायत 11 में प्रतिवादी सं. 02 द्वारा स्वंय का कब्जा विवादित भूमि पर होने के आधार पर तथा स्वंय को न्यायालय द्वारा दिनांक 11–05–2017 को पक्षकार बनाये जाने के आधार पर यह कथन किये है कि प्रतिवादी सं. 01 को उक्त इकरारनामा निष्पादित करने का अधिकार नहीं था, जो पूर्णतः अस्वीकार है तथा जो इस वाद की विषय वस्तु नहीं है। इसी प्रकार न्यायालय की आदेशिकाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रार्थनापत्र के लिये सुसंगत नहीं है, प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के मध्य स्वामित्व व कब्जे का विवाद नहीं है, इस आधार पर मौजूदा आवेदन विशिष्ट व्यय सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष को सुनकर, मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा बहस के दौरान यह निवेदन किया है कि पूर्व में न्यायालय के आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 2 को पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 11.05.2017 को स्वीकार किया गया था, इसके खसरा नंबर 1373 व 1374 की भूमि प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी बताई थी, इसका हवाला भी न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.05.2017 में दिया गया। आदेश के पैरा सं. 4 की लाईन सात में इसका हवाला अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 इकरारनामा दिनांक 8.8.2013 वादी व प्रतिवादी नंबर 1 के मध्य उक्त इकरारनामा है, जिसके पेज नंबर 2 उप–पैरा 1 व 2 में स्वयं वादी व प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 के प्रकरण के बाबत हवाला दिया है तथा इसका उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रकार से यदि प्रतिवादी नंबर 2 को प्रतिवादी नंबर 1 के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर जिरह का अवसर प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिवादी सं. 2 के विधिक अधिकारों का हनन होगा। उक्त सभी तथ्यों का बहस के दौरान खण्डन करते हुऐ प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 लगायत 11 में प्रतिवादी सं. 02 द्वारा स्वंय	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	का कब्जा विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है तथा इसी आधार पर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे कि न्यायालय के द्वारा आदेश जारी कर प्रतिवादी सं. 2 को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी सं. 01 को प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा इकरारनामा निष्पादित किये जाने अधिकारी होना बताया गया है जो कि असत्य व अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष अपने वादपत्र में नही चाहा गया है, अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाह से जिरह किये जाने का अवसर प्राप्त होने का कोई विधि सम्मत कारण नहीं है। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इकरारनामा दिनांक 08.08.2013 की विनिर्दिष्ट अनुपालना कराये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। उक्त इकरारनामे के संबंध में प्रतिवादी सं. 2 का यह उज्र न्यायालय के समक्ष आया है कि इकरारनामा न होकर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा है तथा वहीं इस भूमि का स्वामी है। अतः चूंकि प्रतिवादी सं. 1 व वादी उक्त इकरारनामे के आधार पर न्यायालय हाजा के समक्ष आऐ है, दोनों के हित समान है तथा प्रतिवादी सं. 2 को अपनी कब्जा शुदा भूमि से बेदखल करने हेतु उसको जिरह का मौका नहीं देना चाहते। अतः इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य वादी, प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिये गये अभिवचनों से स्पष्ट उभरकर आता है कि मूलतः यह दावा इकरारनामे की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा अपना कब्जा होना बताया है यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाह से वादी के द्वारा जिरह की जा चुकी है परन्तु प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाह से जिरह का अवसर प्रदान नहीं करते है तो अवश्य ही प्रतिवादी सं. 2 के अधिकारों के विरूद्ध कुठाराघात होगा, क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा एवं स्वत्व होना बताता है, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 के गवाह से जिरह किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त तथ्य परिस्थितियों एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाह बसंत कुमार से आवश्यक रूप से आइंदा तारीख पेशी पर जिरह करें। पत्रावली वास्ते .....हेतु दि. ..... को पेश हों। SHAILENDRA KRISHANA PAREEK Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK Date: 2026.05.21 13:02:08 +0530	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

Authenticated Document